उत्तर प्रदेश सरकार
उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड
तुलसी गंगा काम्पलेक्स, 19सी विधानसभा मार्ग,
उ0प्र0,लखनऊ - 226001
दूरभाष/फैक्स: 0522-2236172 फैक्स- 0522-2235806
Web-www.uppbpb.gov.in

उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस (पुरूष/महिला) एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती-2016 के अन्तर्गत संगत सेवानियमावली के प्रावधान के अनुसार आनलाइन परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के अभिलेखों की संवीक्षा तथा शारीरिक मानक परीक्षा के सम्बन्ध में प्रक्रिया

विज्ञप्ति

संख्याःपीआरपीबी-अनु-6-प-05/2017 — दिनांकः जनवरी 23,2018

"उत्तर प्रदेश उपनिरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2016 के नियम-15(ग) में प्रावधान है कि लिखित परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों से अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। श्रेष्ठता के आधार पर इस परीक्षा में बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या, कुल रिक्तियों की संख्या को ध्यान में रखते हुये, निर्धारित की जायेगी।

2- यह परीक्षा एक समिति द्वारा सम्पन्न करायी जायेगी। इस समिति का स्वरूप निम्नवत् है :-

(क)- जनपद के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई उप जिलाधिकारी अध्यक्ष होगा।

(ख)- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/जनपद के पुलिस अधीक्षक द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई उप पुलिस अधीक्षक।

(ग)- जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षक या बेसिक शिक्षा अधिकारी अथवा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट शिक्षा विभाग का कोई अन्य राजपत्रित अधिकारी।

जहाँ विद्यमान शासनादेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक व अन्य किसी श्रेणी जिसका प्रतिनिधित्व उपरोक्त दल में आवश्यक हो, वहाँ उनके प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने हेतु बोर्ड द्वारा सम्बन्धित जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा नाम निर्दिष्ट अतिरिक्त अधिकारियों को सदस्य के रूप में रखा जायेगा। नामित किये जाने वाले ऐसे अधिकारी पुलिस विभाग में निरीक्षक स्तर से निम्न नहीं होंगे।

3- अभिलेखों की संवीक्षा समिति द्वारा अभ्यर्थियों के मूल अभिलेखों का मिलान आवेदन-पत्र में उपलब्ध करायी गयी सूचना से किया जायेगा।

4- अभिलेखों के मिलान के दौरान, किसी प्रकरण को किसी दल द्वारा कोई संशय होने के कारण संदर्भित किये जाने पर अथवा सीधे उनके संज्ञान में लाये जाने जाने पर, बोर्ड निर्णय लेकर निर्देश जारी कर सकता है। इस प्रकार बोर्ड द्वारा जारी किये गये निर्देश अन्तिम माने जायेंगे।

5- अभिलेखों की संवीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को शारीरिक मानक परीक्षा में सम्मिलित किया जायेगा।

6- अभ्यर्थियों की शारीरिक मानक परीक्षा हेतु शारीरिक मापदण्ड निम्न होंगे :-

1- पुरूष अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत् है :-

(क)- ऊंचाई :

(एक) सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के पुरूष अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम ऊँचाई 168 सेन्टीमीटर है।

(दो) अनुसूचित जनजाति के पुरूष अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम ऊँचाई 160 सेन्टीमीटर है।

<u>(ख)- सीना :</u>

सामान्य/ अन्य पिछड़ी जातियों अनुसूचित जातियों के सम्बन्धित अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम सीने का माप 79 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर एवं अनुसूचित जनजातियों के सम्बन्धित अभ्यर्थियों के लिये 77 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और फुलाने पर 82 सेंटीमीटर से कम नहीं होगा।

<u>टिप्पणी:</u> न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है।

2- महिला अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत है :-

<u>(क)- ऊंचाई :</u>

(एक) सामान्य/अन्य पिछड़े तथा अनुसूचित जाति की महिला अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम ऊँचाई 152 सेन्टीमीटर है।

(दो) अनुसूचित जनजाति की महिला अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम ऊँचाई 147 सेन्टीमीटर है।

<u>(ख)- वजन :</u>

महिला अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम 40 किलोग्राम।

7- उक्त समिति द्वारा ही शारीरिक मानक परीक्षा की कार्यवाही की जायेगी।

8- कोई अभ्यर्थी जो अपनी शारीरिक मानक परीक्षा से असंतुष्ट हो, ठीक परीक्षण के उपरान्त उसी दिन आपत्ति दाखिल कर सकता है। ऐसे समस्त प्रकरणों की आपत्ति के निस्तारण के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा प्रत्येक स्थान पर एक अपर पुलिस अधीक्षक को नामित किया जायेगा एवं ऐसे सभी अभ्यर्थियों का शारीरिक परीक्षण, दल द्वारा उपरोक्त नामित अपर पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में पुन: कराया जायेगा। ऐसे अभ्यर्थी जो पुन: कराये गये शारीरिक मानक परीक्षण में असफल पाये जाते हैं, उन्हें भर्ती हेतु अनुपयुक्त घोषित किया जायेगा एवं तदोपरान्त किसी प्रकार की अपील स्वीकार नहीं की जायेगी।

9- अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जायेगी कि वे अभिलेखों की संवीक्षा हेतु दिये गये दिनांक और समय पर उपस्थित हों। ऐसे कारणों से जो नियंत्रण से परे हों और जो लिखित रूप में अभिलिखित किये जायेंगे, किसी विशिष्ट समय पर परीक्षण किये जाने वाले अभ्यर्थियों के समूह हेतु परीक्षण के दिनांक व समय में बोर्ड द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है।

10- अभिलेखों की संवीक्षा हेतु यदि कोई अभ्यर्थी नियत समय एवं दिनांक पर परीक्षा में सम्मिलित होने में असफल रहता है तो वह परीक्षा हेतु संबंधित जनपद में गठित समिति को परीक्षा में सम्मिलित न होने के विस्तृत कारणों का उल्लेख करते हुये, किसी अन्य तिथि को परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये प्रत्यावेदन दे सकता है। समिति द्वारा उसके प्रत्यावेदन पर विचार कर उसे किसी अन्य दिनांक एवं समय पर परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु निर्णय लिया जा सकता है। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थी को केवल एक अतिरिक्त अवसर प्रदान किया जायेगा एवं अगर वह पुन: अवधारित दिनांक एवं समय पर परीक्षा में सम्मिलित होने में विफल रहता है तो उसे परीक्षा में असफल माना जायेगा। अभ्यर्थियों को यह प्रत्यावेदन, बोर्ड द्वारा इस परीक्षा हेतु पूर्व से निर्धारित की गयी अन्तिम तिथि तक देना होगा। अन्तिम तिथि के बाद दिया गया कोई भी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। उपरोक्त ऐसे सभी प्रकरणों को जिसमें समिति द्वारा परीक्षा का दिनांक एवं समय पुनर्निर्धारित किया जायेगा उसके सम्बन्ध में बोर्ड को सूचित किया जायेगा।

11- परीक्षा में विहित मानक प्राप्त न कर सकने के कारण असफल हो जाने वाले अभ्यर्थी को दूसरा मौका नहीं दिया जायेगा और स्वास्थ्य के कारण या किसी अन्य आधार पर चाहे जो हो, पुन: परीक्षा के लिये अपील नहीं की जा सकेगी।

12- अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा के परिणाम पत्रक पर सम्बन्धित अभ्यर्थियों से उन्हें सूचित किये जाने के लिये हस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे, तत्पश्चात समिति द्वारा हस्ताक्षरित कर परिणाम घोषित किया जायेगा।

23.1.18

(संजय कक्कड)
अपर सचिव, भर्ती
उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,
लखनऊ।